रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 1973/अग्रहायण 19, 1895
[No. 291] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 1973/AGRAHAYANA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December 1973

G.S.R. 518(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution of India, I, V. V. Giri, President of India, hereby revoke the Proclamation made under the said article on the 18th January, 1973, in relation to the State of Andhra Pradesh.

NEW DELHI;
The 10th December, 1973.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 13/9/AP/73-POLL(K)]

NEW DELHI;
The 10th December, 1973.

N. K. MUKARJI, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1973

सा० सं० नि० 518(अ).—राष्ट्रपति का निम्नलिखित उद्घोषणा साधारण जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है ।

उद्घोषणा

भारत के विधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, व० वे० गिरि, भारत का राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में 18 जनवरी, 1973 को उक्त अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा को एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं ।

नई दिल्ली;
10 दिसम्बर, 1973

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० 13/9/अ०प्र०/73-पौल(के)]

नई दिल्ली;
10 दिसम्बर, 1973

नि० मुकर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973